

समुद्री प्रवासियों की वापसी के वरिद्ध इटली के न्यायालय का नरिणय

स्रोत: द हट्टि

इटली के सर्वोच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने नरिणय कयि क बिचाव कयि गए समुद्री प्रवासियों को पुनः लीबिया भेजना वधि-वरिद्ध है।

- न्यायालय का यह नरिणय नॉन-रफिउलमेंट के सिद्धांत पर आधारति है जो लोगों को उन देशों में जबरन भेजने से नरिबंध करता है जहाँ उनके जीवन अथवा अधिकार के संबंध में खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
 - इटली के सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के अनुसार लीबिया प्रवासियों के लयि असुरकषति कषेत्र है और उन्हें पुनः लीबिया भेजने की दशा में तटरकषकों तथा मलिशिया के द्वारा हरिसत केंद्रों में उनके साथ "अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार" का जोखमि उत्पन्न हो सकता है।
- इटली के सर्वोच्च न्यायालय का यह नरिणय क समुद्री प्रवासियों को पुनः लीबिया भेजना वधि-वरिद्ध है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 98 के अनुरूप है।
 - यह अनुच्छेद शपिमास्टर को अपने जहाज़ अथवा लोगों की सुरकषा सुनश्चिति करते हुएसमुद्र में आपात अथवा संकटपूर्ण स्थिति में फँसे लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु बाध्य करता है।



और पढ़ें...UNCLOS समुद्री कषेत्र, लीबियाई संकट और संघर्षवरिम की घोषणा

